राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अर्जुन बनाम मंगला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	1181/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 131, 132 भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा, पटवार हल्का फूटोलाव, तहसील आंधी जिला जयपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 1.0100 है. अनुसार स्थित है, जिसमें मुताबिक खातेदारी प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णितानुसार प्रार्थीगण की काश्तकारी भू सम्पत्ति मे आवागमन हेतु मौके पर चली आ रही फूटोलाव से सरपुरा सी.सी. रोड से खसरा नम्बर 102 के लगवा अनुसार होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी अनुसार स्थित कुषि भूमि खसरा नम्बर 101 में से होकर 16 फिट चौडाई में रास्ता रहता आया है तथा उक्त रास्ते से होकर ही प्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि में आते जाते हुए अपनी उक्त वर्णितानुसार कृषि उपयोग उपभोग हेतु आवागमन करते आये है तथा प्रार्थीगण के पशु ट्रेक्टर आदि आते जाते है, जिसके अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के भूमि में से प्रार्थीगण का रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शें में गै. मु. रास्ता अंकित नही होकर अप्रार्थीगण के खातेदारी में अंकित है। अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन व पशुआन एवं कृषि संसाधन के आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्तर्गत होते हुए 16 फिट चौडाई मे रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जाना आवश्यक है। जिसके प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। अतः संलग्न नजरी नक्शे को मध्य नजर हुए एवं तहसीलदार से रास्ते का प्रस्ताव लेकर ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 की भूमि मे आवागमन हेतु ग्राम फूटोलाव से सरपुरा सी.सी.रोड से खसरा नम्बर 102 के लगवा होते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 101 की भूमि में होर 16 फिट चौडाई अनुसार गै.मु.आम रास्ता कायम करते हुए, उक्त गै. मु. रास्ते को जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शें मे अमल दरामद इन्द्राज करने के आदेश दिया जावें। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अर्जुन बनाम मंगला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1181/2025		

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 11 के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16/01/2025 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | अप्रार्थी संख्या 12 (पैरोकार सरकार) द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21/04/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धातो के अनुसरण में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी/रेस्पो. के पास वैकल्पिक एवं रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही होना स्पष्ट होने से अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश पारित किया गया है, जिससे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी प्रत्येक खातेदार/काश्तकार को उनकी खाते की कृषि भूमि पर उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किये जाने हेतु रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/04/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर